न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारीः—रमेश देव आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः— 281/2019
वादपत्र अन्तर्गत धारा :— 88/53 आरटीए

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

धर्मवीर पुत्र मोहन लाल जाति जाट निवासी नुकेरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

—वादी

बनाम्

1. मोहन लाल पुत्र बीरबलराम जाति जाट नि. नुकेरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
2. रानी देवी पत्नि मोहन लाल जाति जाट नि.नुकेरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
3. सुशीला पुत्री मोहन लाल जाति जाट निवासी नुकेरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
4. कान्ता पुत्री मोहन लाल जाति जाट नि. नुकेरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
5. तहसीलदार राजस्व संगरिया।
6. एचडीएफसी बैक शाखा संगरिया।

प्रतिवादीगण

उपस्थित — 1. श्री राधेश्याम झोरड़ एडवोकेट (वादीगण)
2. श्री सुशील एडवोकेट (प्रति.सं. 1 ता 4)
3. राज—पैरोकार प्रतिवादी संख्या 5

निर्णय दिनांकः—

अधिवक्ता वादी द्वारा एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88/53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया गया जिसके तथ्य निम्नाअनुसार है कि वादी एवं प्रतिवादीगण का पंजीकृत पता व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आज्ञापक प्रावधानों के अन्तर्गत वही है जो वाद शीर्षक में अंकित है। वादी के पिता मोहन लाल पुत्र बीरबलराम जाति जाट निवासी नुकेरा के नाम से चक 3 पीटीपी के खाता संख्या 61/57 खाता मोहन लाल में 1.645 ह. कृषि भूमि व चक 5 केएसडी के खाता संख्या 55/42 खाता मोहन लाल में 4.934 है. कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। इस प्रकार वादी के पिता के नाम से दोनो चकों में 6.579 है. कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज हैं यह कृषि भूमि वादी व प्रतिवादीगण की जद्दी जायदाद है। यह कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 को उसके पिता से प्राप्त हुई थी। इस प्रकार यह कृषि भूमि वादी की पैतृक कृषि भूमि है। जिसमें वादी का जन्मतः हक व अधिकार निहित है। वादी के पिता के नाम से दर्ज इस कृषि भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 , 3, 4 का बाहब हक व हिस्सा बनता है लेकिन प्रतिवादी संया 3 व 4 द्वारा अपना समस्त हक व हिस्सा बनता है। लेकिन प्रतिवादी सं. 1 व 2 के पक्ष में कर दिया है। प्रतिवादी संख्या 3 व 4 द्वारा अपने हक व हिस्से का परित्याग करने के बाद प्रतिवादी संख्या 3 व 4 का कृषि भूमिमें कोई हक व हिस्सा नही रहा है इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 3 व 4 द्वारा अपने हक व हिस्से का परित्याग करने के बाद वादी का वाद पत्र की चरण सख्या 3 में वर्णित कृषि भूमि में 1/2 हिस्सा बनता है। जिस पर वादी का जन्मतः हक व हिस्सा होने के कारण वादी इसी आश्य की घोषणा प्राप्त करने का अधिकारी एवं दावेदार है। प्रतिवादी संख्या 1 लालची प्रवृति का व्यक्ति है तथा लालच स्वरूप कृषि भूमि अपने नाम का होने का गलत व मनमाना फायदा उठाते हुए कृषि भूमि को दीगर व्यक्तियों को रहनबैय करने के लिए प्रयासरत है तथा

इसी प्रयास स्वरूप प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा कृषि भूमि को अन्यत्र रहनबैय करने के लिए गांव में कई व्यक्तियों से वार्ता की जा रही है। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादी का स्पष्ट् धमकी दी है कि वह अपने नाम की कृषि भूमि को दीगर व्यक्तियों को रहनबैय कर देगा यदि प्रतिवादी संख्या 1 वाद पत्र की चरण संख्या 4 में वर्णित कृषि भूमि को दीगर व्यक्तियों को रहनबैय कर देता है तो वादी को अपूर्णीय क्षति होगी वादी अपने विधिक व साम्पतिक अधिकारों से वंचित हो जाएगा ऐसी स्थिति में वादीगण के विरूद्व इस आश्य का शाश्वत व्यादेश प्राप्त करने का अधिकारी है कि प्रतिवादीगण वाद पत्र की चरण संख्या 3 में वर्णित कृषि भूमि को दीगर व्यक्तियों को रहनबैय करने से निषेध रहे। वादी ने प्रतिवादीगण से निवेदन किया कि वे चलकर वादी को वाद पत्र की चरण संख्या 3 में वर्णित कृषि भूमि का वादी को 1/2 हिस्सा का खातेदार काश्तकार होना मानते हुए अच्छी मंदी के हिसाब से खाता विभाजन करवा देवें इस पर प्रतिवादीगण ने ऐसा करन से स्पष्ट इन्कार कर दिया बस यही वाद कारण है।

लिहाजा वाद वादी विरूद्व प्रतिवादीगण प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद वादी विरूद्व प्रतिवादीगण निम्न तरीका से डिक्री फरमाया जावे कि वादीगण को वाद पत्र की चरण संख्या 3 में वर्णित कृषि भूमि का उसके हक व हिस्सा तक खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे व अच्छी मदी के हिसाब से खाता विभाजन कर दिया जाने का निवेदन किया।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गई। वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। वादी एवं प्रति.सं. 1 ता 4 ने जरिये अधिवक्ता अपना राजीनामा प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी सं. 5 राज पैरोकार तहसीलदार (राजस्व) संगरिया की ओर से जबाव प्रस्तुत किया गया। जिसमें राज्य हित को विपरीत प्रभावित किये बिना वादो को याचित अनुतोष प्रदान करने में कोई आपत्ति नहीं की गई। प्रतिवादी संख्या 6 बावजूद तामिल के उपस्थित नही आने पर इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल लाई गई। प्रकरण में विवाधक न बनना पाये जाने पर साक्ष्य वादी रिकार्ड की गई। वादी ने अपने साक्ष्य में आदश 18 नियम 4 व्या.प्र.संहिता का शपथ–पत्र प्रस्तुत किया तथा निम्न जमाबंदी प्रदर्श करवाई गई हैः–

1. चक 3 पीटीपी खाता संख्या 5/4 ज.स. 59 जमाबन्दी प्रदर्श 4
2. चक 3 पीटीपी खाता संख्या 3/3 ज.स. 59/62 जमाबन्दी प्रदर्श 5
3. चक 5 केएसडी खाता संख्या 9/5 ज.स. 58 जमाबन्दी प्रदर्श 6
4. चक 5 केएसडी खाता संख्या 51/49 ज.स. 58 जमाबन्दी प्रदर्श 7
5. चक 3 पीटीपी खाता संख्या 3/5 ज.स. 55 जमाबन्दी प्रदर्श 8

बहस उभय पक्ष विद्वान अधिवक्तागण सुनी गई। बहस में वकील वादी ने कथन किया कि चक 3 पीटीपी खाता संख्या 61/57 खाता मोहन लाल में 1.645 हैक्ट. कृषि भूमि एवं चक 5 केएसडी के खाता संख्या 55/42 खाता मोहनलाल में 4.934 है.कृषि भूमि मोहन लाल के नाम दर्ज है जो हमारी जद्दी जायदाद है। बहस में यह भी कथन किया कि वादी के वाद का प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नहीं किया इस आधार पर वादपत्र को स्वीकार किया जावे है। पैतृक सम्पति साबति करने हेतु बतौर साक्ष्य में वकील वादी ने चक 3 पीटीपी व चक 5 केएसडी की प्रमाणित जमाबन्दी प्रदर्श 4 ता 8 करवाई गई है के आधार पर वादपत्र में वर्णित आराजी पैतृक सम्पति होना साबित होने से वादपत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। वादी एवं प्रतिवादीगण 1 ता 4 एक ही परिवार के सदस्य है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 3, 4 प्रतिवादी संख्या 1 मोहन लाल के पुत्र/पुत्री है तथा प्रतिवादी संख्या 2 प्रतिवादी संख्या 1 की पत्नी है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

वादग्रस्त आराजी वाद पत्र के वर्णितानुसार चक 3 पीटीपी खाता संख्या 61/57 खाता मोहन लाल में 1.645 हैक्ट. कृषि भूमि एवं चक 5 केएसडी के खाता संख्या 55/42 खाता मोहनलाल में 4.934 है.कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम है जो प्रदर्श 4 ता 8 से पैतृक साबित है। प्रतिवादीगण 1 ता 4 ने हाजिर आकर राजीनामा पेश किया ह जिससे वाद पत्र के तथ्यों की पुष्टि हो रही है। दस्तावेजी साक्ष्यों से वाद वादी साबित है। पक्षकारान के मध्य कोई विवाद नहीं है। इसलिए प्रकरण में तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। वादी के वाद का प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नहीं किया गया। प्रकरण में राजीनामा पेश हो चुका है। परिणाम स्वरूप वाद वादी मुताबिक राजीनामा अनुसार डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वाद वादी डिक्री किये जाने योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी उक्त राजीनामा के आधार पर निम्नानुसार डिक्री किया जाता है किः— वादी धर्मवीर के हक व हिस्सा में चक नं. 5 केएसडी खाता संख्या पुराना 55/42 नया खाता संख्या 54/42 में पं.न. 157/125 मु.न. 44 किला नं. 21,22/प्रत्येक 0.253 हैक्ट. पं.न. 157/126 मु.न. 51 किला नं. 1 ता 4, 8, 9, 19 ता 21 प्रत्येक 0.253 हैक्ट कुल 2.783 हैक्ट कृषि भूमि व प्रतिवादी संख्या 1 मोहन लाल के हक व हिस्सा आई कृषि भूमि चक नं. 5 केएसडी खाता संख्या पुराना 55/42 नया खाता संख्या 54/42 में प.न. 157/126 मु.न. 51 किला नं. 10,11,112 प्रत्येक 0.253 हैक्ट कृषि भूमि चक नं. 3 पीटीपी पुराना खाता संख्या 61/57 नया खाता संख्या 69/57 पु.न. 154/128 मु.न. 02 किला नं. 3/1/0.228 है. 3/2/0.025 हैक्ट. 4/1/0.228 है. 4/2/0.025 है. 5/1/0.228 है. 5/2/0.025 है. 6, 7, 14/प्रत्येक 0.253 हैक्ट. 15/2/0. 127 है. कुल 1.645 है. मय गै.मु. कृषि भूमि एवं प्रतिवादीया संख्या 2 रानी देवी के हक व हिस्सा चक 5 केएसडी खाता संख्या पुराना 55/42 नया खाता संख्या 54/42 में पं.न. 156/126 मु.न. 52 किला नं. 15,16,25 प्रे. 0.253 है. पं.न. 154/127 मु.न. 55 किला नं. 19, 22/प्रत्येक 0.253 है. 23/2/0.127 हैक्ट. कुल 1.392 हैक्ट कृषि भूमि के खातेदार काश्तकार घोगित कर प्रतिवादी संख्या 1 का इसी हद तक हिस्सा कम किया जाकर राजस्व रिकार्ड रकम—राज अलग—अलग कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। पर्चा डिक्री अलग से जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। राजीनामा निर्णय का भाग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना—अपना वहन करेंगे।

यह निर्णय आज दिनांक 19/05/2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले इजलास में सुनाया गया।

(रमेश देव)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,संगरिया
वादपत्र अन्तर्गत धारा :–88/53 आरटीए
प्रकरण संख्याः– 281/2019

धर्मवीर पुत्र मोहन लाल जाति जाट निवासी नुकेरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

–वादी

बनाम्

1. मोहन लाल पुत्र बीरबलराम जाति जाट नि. नुकेरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
2. रानी देवी पत्नि मोहन लाल जाति जाट नि.नुकेरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
3. सुशीला पुत्री मोहन लाल जाति जाट निवासी नुकेरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
4. कान्ता पुत्री मोहन लाल जाति जाट नि. नुकेरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
5. तहसीलदार राजस्व संगरिया।
6. एचडीएफसी बैक शाखा संगरिया।

यह राजस्व वाद आज वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री राधेश्याम झोरड़ एडवोकेट व मिन जानिब मुदायला प्रति सं. 1 ता 4 श्री सुशील एडवोकेट एवं राज पैरोकार तहसीलदार (राजस्व) संगरिया पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वाद वादी डिक्री किया जाता है कि :– वादी धर्मवीर के हक व हिस्सा में चक नं. 5 केएसडी खाता संख्या पुराना 55/42 नया खाता संख्या 54/42 में पं.न. 157/125 मु.न. 44 किला नं. 21,22/प्रत्येक 0.253 हैक्ट. पं.न. 157/126 मु.न. 51 किला नं. 1 ता 4, 8, 9, 19 ता 21 प्रत्येक 0.253 हैक्ट कुल 2.783 हैक्ट कृषि भूमि व प्रतिवादी संख्या 1 मोहन लाल के हक व हिस्सा आई कृषि भूमि चक नं. 5 केएसडी खाता संख्या पुराना 55/42 नया खाता संख्या 54/42 में प.न. 157/126 मु.न. 51 किला नं. 10,11,112 प्रत्येक 0.253 हैक्ट कृषि भूमि चक नं. 3 पीटीपी पुराना खाता संख्या 61/57 नया खाता संख्या 69/57 पु.न. 154/128 मु.न. 02 किला नं. 3/1/0.228 है. 3/2/0.025 हैक्ट. 4/1/0.228 है. 4/2/0.025 है. 5/1/0.228 है. 5/2/0.025 है. 6, 7, 14/प्रत्येक 0.253 हैक्ट. 15/2/0.127 है. कुल 1.645 है. मय गै.मु. कृषि भूमि एवं प्रतिवादीया संख्या 2 रानी देवी के हक व हिस्सा चक 5 केएसडी खाता संख्या पुराना 55/42 नया खाता संख्या 54/42 में पं.न. 156/126 मु.न. 52 किला नं. 15,16,25 प्रे. 0.253 है. पं.न. 154/127 मु.न. 55 किला नं. 19, 22/प्रत्येक 0.253 ह. 23/2/0.127 हैक्ट. कुल 1.392 हैक्ट कृषि भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी संख्या 1 का इसी हद तक हिस्सा कम किया जाकर राजस्व रिकार्ड रकम–राज अलग–अलग कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। राजीनामा डिक्री का भाग रहेगा।

नोट :– यदि हक हिस्सा प्रभावित नही हो तो ऋणि का तकार के अलावा डिक्रीत दावे के अन्य पक्षकारों का अमल दरामद कर दिया जावे।

निज....×.....नल.....×....मुब्लिक.....×....निल.....×.....बाबत्.....×.....निल....×.....खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक...×.....अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 19/05/2023 को जारी किया गया।

(रमेश देव)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official